(6)

न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. /15 निगरानी — निगरानी 1206-II-15

1.अल्ताफ हुसैन पिता मो.इस्माइलखां

2.आजाद हुसैन पिता मो.इस्माइल

3.एजाज हुसैन पिता मो.इस्माइल

4.जरीनाबी पुत्री मो.इस्माइल

5.रियाज एहमद पिता मो.इस्माइल सर्व जाति मुसलमान कृषकगण मो.बड़ोदिया समस्त तह. मो.बड़ौदिया जिला शाजापुर म.प्र.

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि. द्वारा आज दि. 26-5-15 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 26-5-15 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानीकर्तागण

बनाम

1.हफीजनबाई पिता अ.रहमानखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम मो.बड़ोदिया .जिला शाजापुर

2.मो.इस्माइलखां पिता अ.रहमान जाति मुसलमान निवासी मोहन बड़ोदिया त्हसील मो.बड़ोदिया, जिला शाजापुर

...............विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरूद्व न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय,मो.बडोदिया के प्र.31–अ–27/14–15 में पारित प्रोसेडिंगआदेश दिनांक 15.04.2015 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अंदर अवधि पेश है :–

माननीय महोदय,

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) 26/5/15

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरणः–

यह कि आवेदिका/विपक्षी क.1 ने अधि.न्याया. तहसीलदार मो.बड़ौदिया में एक आवेदन वादग्रस्त भूमि सर्वे नं.1482 व 428 कुल रकबा 1.045 हेक्टर का विपक्षी क.2 के विरूद्व बंटवारे का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था विपक्षी क.1 ने निगरानीकर्तागण को बिना पक्षकार बनाए उक्त कृषिखाते का विभाजन चाहा है अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विज्ञप्ति जारी करने पर निगरानीकर्तागण को जानकारी हुई कि अनावेदिका क.1 ने छलपूर्वक उक्त कृषिखाते का बंटवारा चाहा है जबकि निगरानीकर्तागण के पक्ष में उनके दादाजी अ.रहमान पिता खुदाबक्ष जाति मुसलमान निवासी मो.बड़ोदिया के द्वारा उनके आधिपत्य व स्वामित्व की स्वअर्जित संपत्ति जो ग्राम मो.बड़ोदिया में स्थित भूमि को दो गवाहों के समक्ष दिनांक 30.6.1992 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1206–दो/2015 जिला शाजापुर

अल्ताफ हुसैन आदि विरूद्ध हफीजनबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बडोदिया जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 31/ए–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक के पक्ष में विवादित भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत 1992 में संपादित हुई थी। चूंकि आवदेकगण तत्समय नाबालिग थे इसलिए उनके द्वारा विवादित भूमि का नामांतरण नहीं कराया। विवादित भूमि पर आवेदकगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है। अनावेदक द्वारा विवादित भूमि के बटवारे हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति की। परन्तु तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर दिया, जबकि आवेदक के पक्ष में वसीयत होने के कारण उसकी आपत्ति उचित थी। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विवादित भूमि के बटवारे हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात तहसीलदार ने भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज भूमिस्वामी द्वारा सहखातेदार के	

मध्य बटवारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने तथा आवेदकों के भूमिस्वामी स्वत्व में सहखातेदार नहीं होने से आवेदकों की उक्त आपत्ति निरस्त की है। यदि आवेदक के पास विवादास्पद भूमि की वसीयत थी तो उसे पहले नामांतरण कराना चाहिए था। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अन्तर्गत भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज सहखातेदारों के मध्य बटवारा किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 15—4—15 को पारित किये गये अंतरिम आदेश में किसी प्रकार कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य

3/6/15